न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्याः 05/2022

दायर दिनांकः 10.02.2022

निर्णय दिनांक 06.06.2025

—: अनवान :—

गोपीलाल मुतबन्ना केशुलाल जी जाति सालवी आयु वयस्क निवासी तलाई, तहसील राजसमन्द जिला राजसमंद —अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द तहसील व जिला राजसमंद
2. प्यारेलाल सालवी पिता स्वर्गीय श्री रामा जी जाति सालवी आयु वयस्क निवासी बस स्टेण्ड तलाई तहसील व जिला राजसमंद
3. भग्गाराम पिता भुरा जी जाति सालवी आयु वयस्क निवासी तलाई तहसील व जिला राजसमंद —रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 829 स्वीकृत दिनांक 20.12. 2021 द्वारा तहसीलदार, राजसमन्द अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3— श्री शेषमल गाडरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2
4— श्री सुखलाल बैरवा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 अनुपस्थि।

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने नामान्तरण संख्या 829 स्वीकृत दिनांक 20.12.2021 द्वारा तहसीलदार राजसमन्द के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम तलाई, पटवार हल्का तलाई तहसील राजसमंद जिला राजसमंद में केशुराम पिता भुरा जी बलाई की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1097/1,771/1, 957, कुल किता 3 कुल रकबा 0.4370 है. इसी प्रकार आराजी सख्या 961/2 रकबा 0.0364 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1097/5, 962, 963 कुल किता 3 कुल रकबा 0.1619 हैक्टेयर तथा आराजी नम्बर 958 आ. चा. रकबा 0.0243 हैक्टेयर स्थित रही है। केशु का स्वर्गवास दिनांक 24.11.2021 के पश्चात् उक्त भूमि के संबध में विरासत का नामान्तरकरण मिथ्या शपथ पत्र पेश कर पटवारी हल्का तलाई एवं राजस्व

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिकारियो से मिलीभगत करते हुए रेस्पोण्डेंट संख्या दो व तीन ने अपने नाम पर स्वीकृत करवाया है जबकि अपीलार्थी मृतक केशुराम का विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी है ऐसी स्थिति में उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण अवैद्य एवं विधि विरूद्ध है जिससे व्यथित होकर यह अपील इन आधारो पर प्रस्तुत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश तथ्यो एवं विधि के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थी केशु जी का गोद पुत्र होकर प्रथम अनुसूची का एक मात्र वारीसान उत्तराधिकारी है। हिन्दू विधि की धारा 6 व 8 के प्रावधानो के तहत विरासत के नामान्तरकरण खोलने में त्रूटि कारित की है। अपीलार्थी जब वारीस उत्तराधिकारी है तो उसके नाम नामान्तरकरण दर्ज होना चाहिए था लेकिन रेस्पोण्डेंट संख्या दो व तीन ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर उक्त नामान्तरकरण फैसल करा दिया गया जो विधि विरूद्व है। वास्तविकता में तो विरासत से नामान्तरकरण की पटवारी हल्का द्वारा जाँच ही नहीं की गई। यदि वास्तव में जॉच की जाती तो अपीलार्थी का नाम दर्ज करना पडता इसलिए उक्त नामान्तरकरण बिना जॉच के स्वीकृत कर दिया गया। यह कि विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत आत्मा में स्थित है। केशु जी का मृत्यु प्रमाण पत्र भी ग्राम पंचायत आत्मा ने ही जारी किया। लेकिन राजस्व अधिकारियो ने जानबुझ कर उक्त नामान्तरकरण के संबध में जॉच किये बगेर ही रेस्पोण्डेंट संख्या दो व तीन को वारिस बताते हुऐ नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो विधि के विपरित है। यह सारी कार्यवाही राजस्व अधिकरियो ने बिना जॉच किये ही की है। जब मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत आत्मा का पेश हुआ तो उनका दायित्व था कि केशु की ग्राम पंचायत आत्मा से वारीसान प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता तत्पश्चात् ही नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित की जाती । वारीसान के संबंध में ग्राम पंचायत आत्मा के सरपंच/सचिव से जॉच कर रिपोर्ट तलब कराते लेकिन सारी कार्यवाही बाले बाले ही कर दी गई जो विधि के विपरित है होकर अपास्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने केशु के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त नामान्तरकरण खोला गया है जबकि विरासत की जाँच किया जाना आवश्यक है जबकि इस मामले में विरासत की कोई जाँच नहीं की गई हैं। इस नामान्तकरण में सजरा भी नहीं बनाया गया है। नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया वह विधि विरूद्ध होकर क्षेत्राधिकार से परे है। केशु जी की मृत्यु होने से अपीलार्थी ही एक मात्र विधिक वारीसान उत्तराधिकारी है। केशु जी ने अपने जीवनकाल में अपीलार्थी को गोद लिया तथा इसका विधिवत गोदनामा भी उप पंजियक राजसमन्द के यहीं पर निष्पादित एवं पंजियन करवाया गया। उक्त गोदनामा दिनांक 15.07.2021 को निष्पादित एवं पंजियन करवाया गया। अपीलार्थी के अलावा केशु जी के अन्य कोई वारीस उत्तराधिकारी नहीं हैं फिर भी नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम पर नहीं खोल कर त्रुटि कारित की है विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करने की अधिकारिता राजस्थान भु राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत को प्रदत्त कर रखी है लेकिन तहसीलदार राजसमंद द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो न केवल अवैद्य एवं विधि विरूद्व है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित है। तहसीलदार राजसमंद को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कानूनन कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है। उनके द्वारा ग्राम ग्राम पंचायत आत्मा के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करते हुऐ उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो अपास्त होने योग्य है। उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में कभी भी नहीं रही है। प्रथम बार जानकारी दिनाक 05.01.2022 को हुई जब अपीलार्थी केशु जी की जमीन का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गाया तो पता चला कि जमीन का नामान्तरकरण पहले ही खुल चूका है जिस पर अपीलार्थी ने उसी दिन नकल

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पटवारी हल्का से नकल प्राप्त की तो जानकारी में आया कि उसके गोद पिता केशा जी के नाम ग्राम तलाई में स्थित भूमि का नामान्तरण अपीलार्थी के नाम दर्ज नहीं कर गलत रूप से रेस्पोण्डेडेंट संख्या दो तीन को वारीस बताते हुऐ उसके नाम दर्ज कर दिया । उक्त नामान्तरकरण विधि के विपरित है और अपीलार्थी को सुनवाई का एवं अपना पक्ष रखने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया ऐसी स्थिति में उक्त पारित आदेश प्रारम्भ से ही अवैध शुन्य होकर क्षेत्राधिकार से परे है। ऐसे अवैध आदेश को जानकारी से कभी भी चुनौती दी जा सकती है। कोविड 19 की गम्भीर महामारी के चलते माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार भी उक्त विलम्ब माफी योग्य होने से उक्त अपील तारीख जानकारी से अंदर मयाद प्रस्तुत है। मामला गुणावगुण पर विचारण योग्य है जायदाद से संबधित मामला होने से उक्त अपील जानकारी से पेश की जा रही है। फिर भी मयाद माफी के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमंद द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांक 20.12.2021 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम पर केशु के विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शेषमल गाडरी ने उपस्थिति दी व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुखलाल बैरवा ने उपस्थिति होकर जवाब प्रस्तुत किया।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

बहस हेतु नियत पेशी के दिन अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलान्ट व अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम तलाई, पटवार हल्का तलाई तहसील राजसमंद जिला राजसमंद में केशुराम पिता भुरा जी बलाई की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1097/1,771/1, 957, कुल किता 3 कुल रकबा 0.4370 है. इसी प्रकार आराजी सख्या 961/2 रकबा 0.0364 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1097/5, 962, 963 कुल किता 3 कुल रकबा 0.1619 हैक्टेयर तथा आराजी नम्बर 958 आ. चा. रकबा 0.0243 हैक्टेयर स्थित रही है। केशु का स्वर्गवास दिनांक 24.11.2021 को होने के पश्चात् उक्त भूमि के संबध में विरासत का नामान्तरकरण मिथ्या शपथ पत्र पेश कर पटवारी हल्का तलाई एवं राजस्व अधिकारियो से मिलीभगत करते हुए रेस्पोण्डेंट संख्या दो व तीन ने अपने नाम पर स्वीकृत करवाया है जबकि अपीलार्थी मृतक केशुराम का विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी है ऐसी स्थिति में उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण अवैद्य एवं विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी केशु जी का गोद पुत्र होकर प्रथम अनुसूची का एक मात्र वारीसान उत्तराधिकारी है। केशु जी ने अपने जीवनकाल में अपीलार्थी को गोद लिया तथा इसका विधिवत गोदनामा भी उप पंजियक राजसमन्द के यहां पर दिनांक 15.07.2021 को निष्पादित एवं पंजियन करवाया गया। अपीलार्थी के अलावा केशु जी के अन्य कोई वारीस उत्तराधिकारी नहीं हैं फिर भी नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम पर नहीं खोल कर त्रुटि कारित की है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमंद द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांक 20.12.2021 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम पर केशु के विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी ने गोदनामे के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की है जबकि जिस दिनांक को नामान्तरण पारित किया गया उस दिनांक को गोदनामा अस्तित्व में नहीं था । पटवारी हल्का द्वारा मृतक केशु के विधिक वारीसान की जांच की जाकर उनके विधिक वारीसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में नामान्तरण दर्ज व स्वीकृत किया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है एवं उक्त गोदनामा केशु की मृत्यु से 1 माह पूर्व ही निष्पादित करवाया गया और गोदनामे में अन्य ग्रामवासियों के साक्ष्य के रूप में हस्ताक्षर है जिसमें रेस्पोडेन्टगण को कोई जानकारी नहीं है। केशु के लाऔलाद फौत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विधिक वारीसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया जो विधिसम्मत है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में गुणावगुण पर विचार किया जाकर निर्णय किया जाना उचित रहेगा।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा ग्राम तलाई के नामान्तरण संख्या 829 दिनांक 20.12.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध विचारणीय अपील इस आधार पर प्रस्तुत की, कि रेस्पोण्डेंट संख्या दो व तीन ने वादग्रस्त भूमियों में विरासत का नामान्तरकरण मिथ्या शपथ पत्र पेश कर पटवारी हल्का तलाई एवं राजस्व अधिकारियो से मिलीभगत करते हुए अपने नाम पर स्वीकृत करवाया है जबकि अपीलार्थी मृतक केशुराम का विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी है अपीलार्थी केशु जी का गोद पुत्र होकर प्रथम अनुसूची का एक मात्र वारीसान उत्तराधिकारी है। केशु जी ने अपने जीवनकाल में अपीलार्थी को गोद लिया तथा इसका विधिवत गोदनामा भी उप पंजियक राजसमन्द के यहां पर निष्पादित एवं पंजियन करवाया। ऐसी स्थिति में उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण अवैद्य एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी के नाम नामान्तरण दर्ज करवाने का आदेश फरमावे।

उक्त क्रम में ग्राम तलाई पटवार हल्का तलाई के नामान्तरण संख्या 829 के अवलोकन पर पाया कि पटवारी हल्का तलाई द्वारा केशु पिता भूरा बलाई के विरासत का नामान्तरण केशु को लाऔलाद फौत बताते हुए प्यारेलाल पुत्र रामलाल बलाई व भग्गाराम पुत्र भुरा बलाई के नाम दर्ज किया गया, उक्त नामान्तरण की जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा उक्त नामान्तरण दिनांक 20.12.2021 को स्वीकृत किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पंजीबद्ध गोदनामे के अवलोकन पर पाया कि केशु ने अपने जीवनकाल में अपीलार्थी गोपीलाल को गोद लिया एवं

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उक्त गोदनामे को दिनांक 15.07.2021 को उप पंजीयक राजसमन्द के समक्ष निष्पादित व पंजीबद्ध करवाया गया एवं रेस्पोडेन्ट सं. 02 व 03 द्वारा उक्त पंजीबद्ध गोदनामे को किसी भी न्यायालय में आक्षेपित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी केशु का गोद पुत्र होकर प्रथम अनुसूची का वारीस उत्तराधिकारी है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केशु के द्वितीय अनुसूची के वारिसान के नाम प्रश्नगत नामान्तरण स्वीकृत किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत करने से पूर्व केशु के विधिक वारिसान की जांच नहीं की गई एवं केशु को लाऔलाद फौत बताते हुए अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण स्वीकृत करने से पूर्व केशु के विधिक वारिसान की जांच नहीं की गई एवं केशु को लाऔलाद फौत बताते हुए प्रश्नगत नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया जो विधि सम्मत नहीं है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा राजस्व ग्राम तलाई के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांक 20.12.2021 को खारिज किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं कि प्रकरण में मृतक केशु के विधिक वारीसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण कार्यवाही करें।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 06.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)